रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-13092024-257156
CG-MH-E-13092024-257156

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3592] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 13, 2024/भाद्र 22, 1946
No. 3592] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 13, 2024/BHADRA 22, 1946

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 12 सितम्बर, 2024

का.आ. 3927(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11वां) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20(क) की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ll, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 28 सितम्बर 2023 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का. आ. 4093(अ) तारीख 29 सितम्बर 2023 (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के नागपूर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात, **इटारसी-नागपुर** शेष तीसरी रेलवे लाइन के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक सामाचार पत्रों, अर्थात **"दैनिक आर्वी टाईम्स"** और **"दैनिक नवप्रभात" में तारीख 27 ओक्टूबर 2023** को प्रकाशित किया गया था;

और, आक्षेप प्राप्त हुए और उन पर विचार किया गया और आक्षेप का निदान किया गया है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर दिये गए हैं।

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1) के अनुसरण में केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषण करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम कि धारा 20ड कि उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र मे इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार मे आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में (गोधनी-भरतवाड़ा आरओआर) सेक्शन के अंतर्गत मौजा-पिटेसूर, ता. नागपुर (ग्रामीण) का सक्षम प्राधिकारी अर्थात विशेष भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी नागपूर (ग्रामीण) के अधीन विशेष रेल परियोजना **"इटारसी-नागपुर शेष तीसरी रेलवे लाइन"** मार्ग के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

अ. क्र.	भुसंपादन प्र.क्र.	गाँव का नाम	तालुका	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वे नं.	भूधारणा पद्धती (वर्ग)	7/12 अनुसार कुल क्षेत्र (हे.आर.)	संयुक्त मोजणी रिपोर्ट के अनुसार अर्जित किया जाने वाला क्षेत्र (हे. आर.)
1	1/ए-65/ 2022-23	पिटेसुर (अति. प्रस्ताव)	नागपुर (ग्रामीण)	महेश विन्द्राप्रसाद खंगार, संजयसिंग सुरेशसिंग दिक्षित	13/1	1	1.28	0.0659
				अवचित शिवा जामगड़े, गौतम शिवा जामगड़े, शुध्दोधन शिवा जामगड़े, सत्यवान शिवा जामगड़े, देवमान शिवा जामगड़े, शारदा शिवा जामगड़े, गिरजा प्रभु राउत	10	1	2.55	0.5318
				राजेंद्र चिंतामण चंद्रकापुरे शर्मिला ज. यादवराव अमित व. अरविंद चंद्रकापुरे सत्यभामा वि. चिंतामण चंटकापुरे, भावना ज. विनोद प्रमिला ज. भाऊराव, विनोद चिंतामण चंद्रकापुरे, देवका वि. नरेंद्र चंद्रकापुरे, कपिल व. अरविंद चंद्रकापुरे, मीना वि. अरविंद चंद्रकापुरे, संजय व. नरेंद्र चंद्रकापुरे, मुकेश चिंतामण चंद्रकापुरे, शिल्पा ज. अमित शिल्पा प्रवीण चंदिकापुरे, रजत प्रवीण चंदिकापुरे अज्ञान, तन्वी प्रवीण चंदिकापुरे अज्ञान	19	1	1.70	0.0484
				कुल			**5.53**	**0.6461**

[फा. सं. G197/2024/GOM/Itarshi-Nagpur/Sept./20E]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 12th September, 2024

S.O. 3927(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 4264 (E) dated the 28 September 2023 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the 29 September 2023 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely- Itarsi -Nagpur Balanced 3rd line in the district of Nagpur in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely **"Dainik Arvi Times" and "Dainik Navprabhat" Dated 27.10.2023** under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, objections were received and sorted the same and have been considered by the competent Authority accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structures, falling within special Railway Project Itarsi-Nagpur Third Railway Line in Village- Pitesur, Tahsil Nagpur (Gramin) in (Godhani-Bharatwada ROR) Section under special Land Acquisition Officer and Sub – Divisional Officer, Nagpur (Gramin) in the district of Nagpur in the State of Maharashtra

Sr. No.	Land acquisition case no.	Name of the Village	Tahsil	Name of the Landholder as per 7/12	Survey No.	Land Holdline Method	Total area as per 7/12 (H.R)	Area to be acquired as per Joint Measurement Report p(H.R)
1	1/A-65/ 2022-23	Pitesur (additional proposal)	Nagpur (Gramin)	Mahesh Vidraprasad Khangar, Sanjay Singh Suresh Singh Dixit	13/1	1	1.28	0.0659
				Avachit Shiva Jamgade, Gautam Shiva Jamgade, Shudhodhan Shiva Jamgade, Satyawan Shiva Jamgade, Devman Shiva Jamgade, Sharda Shiva Jamgade, Girja Prabhu Raut	10	1	2.55	0.5318

				Rajendra Chintaman Chandrikapure Sharmila J. Yadavrao Amit v. Arvind Chandrakapure Satyabhama V. Chintaman Chantakapure, Bhavna J. Vinod Pramila J. Bhaurao, Vinod Chintaman Chandrakapure, Devaka V. Narendra Chandrakapure, Kapil V. Arvind Chandrakapure, Meena V. Arvind Chandrakapure, Sanjay V. Narendra Chandrakapure, Mukesh Chintaman Chandrakapure, Shilpa V. Amit Shilpa Praveen Chandrikapure, Rajat Praveen Chandrikapure minor, Tanvi Praveen Chandrikapure minor	19	1	1.70	0.0484
Total							**5.53**	**0.6461**

[F. No. G197/2024/GOM/Itarshi-Nagpur/Sept./20E]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Cons.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.09.13 22:55:20 +05'30'